कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांकः S31 /14–1, दिनांकःअलीगढ़,अगस्त 08 ,2018

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

विषयः— **765 के0वी0 डबल सर्किट उरई–अलीगढ़ पारेषण लाईन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पांतन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।**

सन्दर्भः— आपका पत्र संख्या 269/14–1 दिनांक 03.08.2018 (प्राप्त दिनांक 06.08.2018)

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय लखनऊ क पत्रांक 8बी/यू0पी0/04/37/2018/एफ.सी./80 दिनांक 04.05.2018 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या 3749/14–1 दिनांक 07.05.2018, पत्र संख्य 4456/14–1 दिनांक 28.06.2018, पत्र संख्या 227/14–1 दिनांक 18.07.2018 द्वारा निर्देश दिये गये थे परन्तु आपके द्वारा संदर्भित पत्र से मात्र आपके द्वारा वीट प्रभारी को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी के कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु आलेख प्रेषित किये गये हैं एवं एजेन्सी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही एवं जुर्माना आदि का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी का कारण बताओ नोटिस क जो आलेख प्रस्तुत किया गया है उसमें आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप क्षेत्रीय वन अधिकारियों के कारण बताओ नोटिस में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए सुसंगत धाराओं का उल्लेख करते हुए संशोधित आलेख प्रस्तुत करें तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एजेन्सी को चिन्हित कर उनके विरूद्ध आलेख प्रस्तुत करें एवं जुर्माना आदि का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक S31 /14–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम,1980, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक/नोडल अधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, मैनपुरी को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

C.F. Office/Draftman/Land Transfer/com-II